जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

डी0पी0एम0 ऑफिस, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल परिसर
गिरहिण्डा चौक, शेखपुरा, पिन कोड – 811105

निविदा आमंत्रण सूचना

शेखपुरा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में 24x7 अनवरत विधुत आपूर्ति हेतु जिला के सदर अस्पताल (पोस्टमार्टम हाउस एवं एस0एन0सी0यू0 सहींत), रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जी0एन0एम0 स्कूल में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत ध्वनीरहित जेनरेटर का आपूर्ति, रख–रखाव एवं परिचालन (इंधन सहींत) कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/एजेंसीयों से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से शेखपुरा जिला के संस्करण में किसी भी समाचार पत्रों में प्रथम प्रकाशन के 20 दिनों के अन्दर कार्यालय अवधि में निविदा प्राप्त किया जाएगा। हाथों–हाथ या कुरियर के द्वारा निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिवस के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर अंतिम दिवस को अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन अंतिम दिवस माना जाएगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम दिवस/तिथि के दूसरे दिन जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कमिटी के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदाकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भाग ले सकते हैं। अगर किसी कारण से निविदा दुसरे तिथि को खोली जाएगी तो उसका सूचना www.sheikhpura.bih.nic.in के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। निविदा लिफाफा के उपर स्पष्ट अक्षरों में **Tender for Outsourcing Services** अंकित होना चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं वैसे लिफाफा को इस टेंडर से अलग रखा जाएगा।

निविदा की विस्तृत विवरणी/आहत्ताएँ/शर्तें एवं विहित प्रपत्र www.sheikhpura.bih.nic.in के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। उक्त वेबसाईट पर अपलोड किये गये विस्तृत विवरणी/आहत्ताएँ/शर्तें एवं विहित प्रपत्र के अनुशार न्यूनतम मांगे गये आहर्त्ता रखने वाले एवं विहित प्रपत्र में दर अंकित करने वाले एवं शर्तों को स्वीकार करने वाले निविदा पर हीं विचार किया जाएगा अन्यथा कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

संस्थाओं/एजेंसीयों के लिए आहर्ताएँ/शर्तें:–

1. सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए।
2. सामग्रियों एवं श्रमिकों की आपूर्ति संस्था को स्वयं खर्च पर करनी होगी।
3. निविदादाता सभी स्वास्थ्य संस्थानों को भली–भांति निरीक्षण करने के पश्चात ही निविदा दें।
4. तकनीकी तथा वित्तीय निविदाएँ अलग–अलग लिफाफे में देना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी अथवा वित्तीय उल्लेखित करना अनिवार्य है। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा को एक बड़ा मुहर बंद लिफाफे में जिसपर 'टेंडर फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेस' अंकित कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, डी0पी0एम0 कार्यालय, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल परिसर, गिरहिण्डा, शेखपुरा के कार्यालय में कार्यावधि** में समय सीमा के अन्दर पहुँच जानी चाहिए। कुरियर या स्वयं द्वारा दिया गया निविदा अथवा निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. तकनीकी रुप से स्वीकृत निविदादाताओं का हीं वितीय निविदा खोला जाएगा एवं वित्तीय निविदा Negotiable होगी। अगर किसी का तकनिकी निविदा Qualify नहीं है एवं किसी कारणवश उनका वित्तीय निविदा खुल जाता है तो वे दावा नहीं कर सकते हैं।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा एवं इसका न्यायालय क्षेत्र शेखपुरा होगा।
7. जी0एस0टी0 का भुगतान अलग से किया जाएगा।
8. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम से कम एक करोड़ रुपए का जी0एस0टी0 चलान जमा रहना अनिवार्य है।
9. उक्त कार्यो के outsource हेतु कम से कम तीन वर्ष का सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य का अनुभव होना चाहिए।
10. चयनित निविदा दाताओं के द्वारा प्रदान की गई अग्रधन की राशि, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा में कार्य समाप्त होने तक जमा रहेगा । असफल निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि 30 सें 60 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी ।

11. निविदादाता के चयन के पश्चात् जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा से कम से कम 01 वर्ष के लिए एकरारनामा करना होगा, जो आपके कार्य कलाप को देखते हुए पुनः तीन वर्षो के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और एकरारनामा के दस दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा। कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति मे एक माह पूर्व सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है या निविदादाता के द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एल–2 एवं एल–3 को प्रतिक्षा सूची में रखा जाएगा। अगर एल–1 का कार्य संतोषप्रद नहीं रहेगा तो एल–1 का अनुबंध रद्द करते हुए प्रतिक्षा सूची से एल–2 को कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा।
12. निविदादाता को अपने कर्मियों को पोशाक (ड्रेस कोड) एवं पहचान पत्र मुहैया करानी होगी।
13. दर निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार एवं कार्य को देखते हुए कार्य आवंटित करने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा के पास सुरक्षित रहेगा ।
14. संतोषप्रद व्यवस्था नहीं रहने एवं कार्य नहीं करने पर निर्धारित सुरक्षित– राशि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जब्त कर काली सुची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
15. स्थापित **Silent** जेनेरेटर **Noise Limit 75 dbs at 1 m.** होना चाहिए ।
16. जेनेरेटर सेट में समेकित एकॉस्टिक इनक्लोजर होना चाहिए।
17. जेनेरेटर के साथ डीलर द्वारा जारी टाईप अनुमोदन सर्टिफिकेट समर्पित करना होगा। जेनेरेटर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
18. प्रत्येक पाइंट पर 220 **Volt** से **240 Volt** तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।

(3) तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तेः–

1. निविदा के साथ 100000.00 (एक लाख) रुपये का अग्रधन बैंक ड्राफ्ट के रुप में **जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा** के नाम से जमा करना होगा, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. गैर सरकारी संस्था का निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न होनी चाहिए।
3. निविदा देने वाले एजेंसी/संस्था को किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कम से कम 3 वर्ष (पंजीकरण के बाद) का कार्य अनुभव होना चाहिए। कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. आयकर का पैन नंबर एवं जी0एस0टी0 का निबंधन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
5. विगत 3 वर्षो का टर्न ओवर न्यूनतम 10 करोड़ रूपये होना अनिवार्य है। (पिछले तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए)।
6. निविदादाता को सरकार के किसी विभाग/किसी सरकारी उपक्रम के द्वारा काली सूची में नहीं डालने संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र का मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान का भविष्य निधि (EPF) एवं (ESIC) का निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कराना आवश्यक है।
8. Contract Labour Act 1970 के अधीन पंजीकृत होने की छाया प्रति।
9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम से कम एक करोड़ रुपए का जी0एस0टी0 जमा करने से संबंधित चलान संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का अध्यतन Income Tax Return स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र में भरें और संबंधित अभिलेख की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

वित्तीय निविदाः

वित्तीय निविदा जी0 एस0 टी0 को छोड़कर अन्य सभी तरह का कर सहिंत होना चाहिए। वित्तीय निविदा विहित प्रपत्र में देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

13/6/19

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

उपविकास आयुक्त
शेखपुरा

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

तकनीकी निविदा हेतु चेकलीस्ट

1. निविदादाता का पूरा नाम :
2. पिता का नाम :
3. वर्त्तमान पता

ग्राम/मुहल्ला–	पो0–	थानाः
जिलाः–	पिन कोडः–	फोन नं0–

4. स्थायी पता :

ग्राम/मुहल्ला–	पो0–	थानाः
जिलाः–	पिन कोडः–	मो0 नं0–

5. संस्थान का निबंधन सं0 एवं वर्ष :
6. विगत तीन वर्षो से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कार्य : करने की अवधि (कब से कब तक)
7. .सरकारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्षो तक कार्य करने का अनुभव (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. सम्बधित संस्थान को **EPF** एवं **ESI Certificate** की छायाप्रति
9. **Contract Labour Act** 1970 के अधीन पंजीकृत की छायाप्रति।
10. (क) आयकर पैन नं0 का छाया प्रति :

    (ख) जी0एस0टी0 न0 की छाया प्रति :

    (ग) जी0एस0टी0 चलान की छाया प्रति :
11. विगत तीन वर्षो का **Audit Report** एवं **Turnover** :
    (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
12 नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र
    (मुल प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13 विगत तीन वर्षो का **Income Tax Return** :
    (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
14. वर्त्तमान में **Bank Balance** की राशि अंकित करें :

    Bank Balance Statement की छाया प्रति जो बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित हो संलग्न करें।)
15. अग्रधन राशि **(100000.00)** के बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि :

(नोटः सभी अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

निविदादाता का हस्ताक्षर

जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदादाता का नाम :

प्रति घंटा साइलेंट जेनरेटर की दर (KVA) के आधार पर इंधन, कर्मी एवं रख–रखाव सहींत	
KVA	दर सभी कर सहिंत
10 KVA	
20 KVA	
30 KVA	
60KVA	
100 KVA	
125 KVA	

नोट : किस संस्थान में कितना KVA का जेनरेटर स्थापित किया जाएगा इसका निर्णय स्वास्थ्य संस्थानों के विधुत लोड के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा के द्वारा लिया जाएगा।